

गिरादेवी - शुद्धीकरण

5-7-75/22

नांक

आज्ञा पत्र

5-7-2

पत्रावली पेश। प्रकरण में प्रेषण के लिये तस्वीर भेज है।
इस हेतु अपीलान्त शेष रकमों के अतिरिक्त नोटा
अपनी पेश करें। जो पेश करने पर जारी हो। तब
अपील का शीघ्रातिरीच विस्तार किया जा सके
पत्रावली करते तस्वीर रिकार्ड क्रमांक 14-7-22 को
पेश करें।

पत्रावली पेश। कमील अपीलान्त ने उपस्थित होकर
जाहिर किया कि वे अपील पत्राना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने कमील
अपीलान्त से आवेदन पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सरे इस प्रकार किया गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर म. 14-7-22 को अन्त कर बाद तरतीब
तकमील दाखिल दर्ज करवाये।

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

14-7-23



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर